



## श्रमायुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन

(न्यू मोती बंगला, एम.जी.रोड, इन्दौर फोन - 0731- 2432822

फैक्स 0731-2536600 ईमेल lcmpwages@mp.gov.in)

क्रमांक 1/आठ/वेतन/भाग-3/2024/ 6891

इन्दौर, दिनांक 28/02/2025

### परिपत्र

विषय -याचिका क्रमांक WP.क्र. 10772/2024 एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर के आदेश दिनांक 10 फरवरी,2025 के पालन में न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरों को लागू किये जाने के संबंध में।

--0--

01/ मध्य प्रदेश शासन, श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 04 मार्च,2024 (म.प्र.असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04 मार्च,2024) द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 के अंतर्गत अधिसूचित नियोजनों में नियोजित श्रमिकों को देय न्यूनतम वेतन की दरें दिनांक 01 अप्रैल,2024 से पुनरीक्षित की गई थी। शासन की उक्त अधिसूचना दिनांक 04 मार्च, 2024 के विरुद्ध दि मध्यप्रदेश टेक्सटाईल मिल्स एसोसिएशन एवं अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में याचिका क्रमांक WP. 10772/2024, क्र. 9401/2024, क्र.11921/2024 एवं क्र.12606/2024 दायर की गई थी।

02/ माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर द्वारा उक्त याचिकाओं को आदेश दिनांक 10.02.2025 द्वारा निराकृत करते हुए श्रम विभागीय अधिसूचना दिनांक 04 मार्च,2024 के क्रियान्वयन के संबंध में निम्नानुसार आदेश पारित किया गया है -

"15. Therefore, to secure ends of justice and reflecting upon the stand taken by the State Government, the present petition is being disposed of with direction to the State Government to initiate fresh procedure prescribed under the Act of 1948 for revision of minimum wages for implementation of revised minimum wages from the date of decision taken by Government in consultation of Minimum Wage Advisory Board for Scheduled employment inserted vide notification dated 19.01.2025 viz. Sr. no. 36 (A) Textiles & Made-ups ; Sr. no. 59(A) Apparel Manufacturing (Woven, Knitted and Technical Textiles Fabrics) ;Sr. no. 73 Footwear Manufacturing.

16. It would be needless to mention that Petitioner Association shall remain exempted from implications of notification dated 04.03.2024, as interim stay was passed in their favour immediately on 08.05.2024. However, since the issue involves payment of minimum wages to numerous workers and employees, it would be prudent to further direct that the State Government shall make endeavors to conclude aforesaid exercise within a period of 2 months from today and ensure participation of all stakeholders in Advisory Board meetings in the manner and procedure prescribed under the Act of 1948."

निरंतर-2

03/ माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर द्वारा उक्त आदेश के आलोक में श्रम विभागीय अधिसूचना दिनांक 04 मार्च, 2024 (म.प्र.असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04.03.2024) द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरें 'किसी टेक्सटाईल, मेड-अप्स, वूवन, निटेड और टेक्नीकल टेक्सटाईल फेब्रिक से बने हुए अपेरल व फुट वियर निर्माण में नियोजन' को छोड़कर, शेष समस्त अधिसूचित नियोजनों पर समय-समय पर जारी देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित पुनः प्रभावशील हो जाती हैं।

04/ श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 15 जनवरी, 2025 (म.प्र.राजपत्र भाग-एक दिनांक 17 जनवरी, 2025) में न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अनुसूचित नियोजनों की सूची में जोड़े गए निम्न नियोजनों में माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेशानुसार न्यूनतम वेतन निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से इन नियोजनों के नियोजकों पर उक्त पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरें प्रभावशील न होकर पुनरीक्षण के पूर्व में लागू न्यूनतम वेतन की दरें, नियमित रूप से समय-समय पर निर्धारित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित लागू होंगी -

- 1- अनुक्रमांक 36(क) - किसी टेक्सटाईल एवं मेड-अप्स उद्योग में नियोजन
- 2- अनुक्रमांक 59(क) - किसी वूवन, निटेड और टेक्नीकल टेक्सटाईल फेब्रिक से बने हुए अपेरल निर्माण में नियोजन
- 3- अनुक्रमांक 73 - किसी फुट वियर निर्माण में नियोजन

अतः उक्त कंडिका 03 एवं 04 अनुसार समस्त नियोजकों द्वारा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित देय न्यूनतम वेतन का भुगतान नियोजित श्रमिकों/कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(रजनी सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इंदौर

क्रमांक 1/आठ/वेतन/भाग-3/2024/ 6892-7140 इन्दौर दिनांक 28/02/2025  
प्रतिलिपि -

- 1- प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, श्रम विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 2- सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग/ सामान्य प्रशासन विभाग/ लोक निर्माण विभाग/ जल संसाधन विभाग/ लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग/ कृषक कल्याण विभाग/ राजस्व विभाग (राहत शाखा)/ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/ पुनर्वास विभाग/ वन विभाग/ नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग/सामाजिक न्याय विभाग/नर्मदा घाटी विकास विभाग/आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल

- 3- स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र.शासन, भोपाल।
- 4- आयुक्त जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 5- संचालक, कृषि विभाग, म.प्र. भोपाल।
- 6- समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
- 7- समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
- 8- समस्त उप श्रमायुक्त/ सहायक श्रमायुक्त/ श्रम पदाधिकारी/ सहायक श्रम पदाधिकारी/  
श्रम निरीक्षकों की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 9- समस्त मुख्य कार्यापालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
- 10- संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश, इन्दौर।
- 11- सचिव, म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल।
- 12- सचिव, म.प्र.शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल।
- 13- सचिव, म.प्र.स्लेट एवं पेंसिल कर्मकार कल्याण मण्डल, मंदसौर।
- 14- कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल।
- 15- लेबर ब्यूरो शिमला (हिमाचल प्रदेश) ।
- 16- प्रभारी अधिकारी, विधि शाखा, मुख्यालय इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 17- प्रभारी अधिकारी, आई.टी.शाखा, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्दौर की ओर विभागीय वेबसाईट पर  
अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- 18- प्रभारी अधिकारी, अन्वेषण एवं श्रम कल्याण (शाखा-पांच), मुख्यालय इन्दौर की ओर  
आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 19- समस्त श्रम संगठन, मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ।
- 20- समस्त उद्योग एवं व्यवसाय संगठन, मध्य प्रदेश  
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

  
श्रमायुक्त,  
मध्य प्रदेश, इन्दौर  




## श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्वे/पांच/2024/ 8272-522

इन्दौर, दिनांक 06/03/2025

### अधिसूचना

मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभागीय अधिसूचना दिनांक 4 मार्च, 2024 द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से प्रभावशील पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर द्वारा याचिका क्रमांक WP 10772/2024 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2024 द्वारा स्थगन दिया गया था। अतएव दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 से पुनरीक्षण के पूर्व प्रचलित न्यूनतम वेतन दरों के साथ अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक माह जनवरी से जून, 2024 के 6 माह के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई 02 पाइन्ट की वृद्धि के आधार पर दिनांक 01.10.2024 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरों में रुपये 50/- प्रतिमाह की वृद्धि के संबंध में क्रमांक 28502-750 एवं अन्य अधिसूचनाएं दिनांक 30.09.2024 को जारी की गई थीं।

माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर द्वारा याचिका क्रमांक WP 10772/2024 में पारित आदेश दिनांक 10 फरवरी, 2025 के आलोक में जारी श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर के परिपत्र क्रमांक 1/आठ/वेतन/भाग-3/2024/ 6891 दिनांक 28.02.2025 के अनुक्रम में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचनाएं दिनांक 30.09.2024 को (किसी टेक्सटाईल एवं मेड-अप्स उद्योग, वूवन निटेड और टेक्नीकल टेक्सटाईल फेब्रिक से बने हुए अपेरल तथा फुट वियर निर्माण में नियोजन को छोड़कर) शेष अनुसूचित नियोजनों के लिए अधिक्रमित करते हुए श्रम विभागीय अधिसूचना दिनांक 04 मार्च, 2024 (म.प्र.असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04.03.2024) द्वारा लागू पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरों पर दिनांक 01.10.2024 से 31.03.2025 की छःमाही में निम्नानुसार परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता प्रगणित किया गया है -

1/ माह जनवरी, 2024 से जून, 2024 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 402 रहा है। विगत छः माही का औसत 400 रहा था। अर्थात् अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 400 के उपर  $(402-400)=02$  औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप 67 अनुसूचित नियोजनों में अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 25/- प्रतिबिन्दु के मान से रुपये  $(25 \times 2) =$  रुपये 50/- की प्रतिमाह वृद्धि हुई है। तदनुसार दिनांक 01.10.2024 से 31.03.2025 तक परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रुपये  $(2225+50)=2275/-$  रुपये प्रतिमाह या  $(2275 \div 26)$  रुपये 87.50 पैसे प्रतिदिन देय है।

उक्त के प्रकाश में दिनांक 1.10.2024 से 31.03.2025 तक विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित निम्नानुसार न्यूनतम वेतन देय होगा :-

निरन्तर-2

### अनुसूची - अ

67 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (26 दिन के मान से) (आंकड़े रुपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रुपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	9575	368.27	2275	87.50	11850	455.77	456
अर्द्धकुशल	10571	406.58	2275	87.50	12846	494.07	494
कुशल	12294	472.85	2275	87.50	14569	560.35	560
उच्चकुशल	13919	535.35	2275	87.50	16194	622.85	623

### अनुसूची -ब

किसी स्लेट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें, जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है।(26 दिन के मान से)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन (आंकड़े रुपये में)		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रुपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
मजदूर	9575	368.27	2275	87.50	11850	455.77	456
पेकर, पट्टी पेकर, सीपर	10131	389.65	2275	87.50	12406	477.15	477
मुनीम, लेखाकार, क्लर्क आदि	12294	472.85	2275	87.50	14569	560.35	560
रोलर्स, मिस्ट्री पाइन्टर्स	13653	525.12	2275	87.50	15928	612.62	613
उच्चकुशल	13919	535.35	2275	87.50	16194	622.85	623
कटर्स	14444	555.54	2275	87.50	16719	643.04	643

### अनुसूची -स

किसी मुद्रणालय में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है।(26 दिन के मान से) (आंकड़े रुपये में)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रुपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
लिपिकीय वर्ग							
अकुशल	9575	368.27	2275	87.50	11850	455.77	456
श्रेणी एक	12294	472.85	2275	87.50	14569	560.35	560
श्रेणी दो	10571	406.58	2275	87.50	12846	494.07	494
उच्च कुशल	13919	535.35	2275	87.50	16194	622.85	623

१२

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रूपये प्रतिदिन
कुशल							
श्रेणी एक	13856	532.92	2275	87.50	16131	620.42	620
श्रेणी दो	13473	518.19	2275	87.50	15748	605.69	606
श्रेणी तीन	12294	472.85	2275	87.50	14569	560.35	560
अर्द्ध कुशल							
श्रेणी एक	12294	472.85	2275	87.50	14569	560.35	560
श्रेणी दो	10571	406.58	2275	87.50	12846	494.07	494

### अनुसूची -द

(कृषि नियोजन)

जनवरी से जून, 2024 छः माही का कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1265 है, इसके पूर्व की छः माही का औसत 1236 था, जिसके कारण 29 औसत बिन्दु की वृद्धि होने से रु.6/- प्रति बिन्दु की दर से मंहगाई भत्ते में रु.174/- प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार कृषि नियोजन में मंहगाई भत्ता सहित निम्नलिखित न्यूनतम वेतन देय होगा :- (30 दिन के मान से) (आंकड़े रूपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रूपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	7660	255.33	2010	67.00	9670	322.33	322

### अनुसूची -क

मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (30 दिन के मान से) (आंकड़े रूपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रूपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	9575	319.17	2275	75.83	11850	395.00	395
अर्द्धकुशल	10571	352.37	2275	75.83	12846	428.20	428
कुशल	12294	409.80	2275	75.83	14569	485.63	486
उच्चकुशल	13919	463.97	2275	75.83	16194	539.80	540

88

**बीडी नियोजन**

बीडी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की दर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित दिनांक 01.10.2024 से 31.03.2025 तक निम्नानुसार देय है :- (आंकड़े रुपये में)

क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप दैनिक दर रुपये में
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
1	तम्बाकू तथा तेन्दूपत्ता देने या बीडियां प्राप्त करने एवं उसकी छंटनी करने संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति, तम्बाकू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने के लिए, भट्टी वाला, रसोइया, वाहन ड्राइवर (चालक) हल्के वाहन, टायपिस्ट, क्लर्क बिलमेन	8144	313.23	2275	87.50	10419	400.73	401
2	ट्रक में माल चढाने या उतारने या बीडियों के पूरों को भरने के कार्य में लगे व्यक्ति, भृत्य, चौकीदार	7981	306.96	2275	87.50	10256	394.46	394
3	ड्राइव्हर (चालक) भारी वाहन, एकाउन्टेन्ट, मुनीम, केशियन, स्टोर कीपर, गोडाउनकीपर, हेडक्लर्क।	8144	313.23	2275	87.50	10419	400.73	401

**अनुसूची - एफ**

अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मजदूरी	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते की दरें	कुल न्यूनतम वेतन
(अ) अगरबत्ती रोलर्स साधारण (1000 अगरबत्ती रोल करने पर)	44.25	रु. 22.75 100 पैसा प्रति 4000 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 67.00
(ब) सुगंधित (सैंटेड)	45.00	रु. 22.75 100 पैसा प्रति 4000 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 67.75

(आ) निम्न वजन के अनुसार अगरबत्ती गिनना, बटर पेपर की झिल्ली लपेटना, खाली पकेट में भरकर पकेट के दोनों ओर चिट लगाकर पैकेट बन्द करना।

**बिना सिलोफेन या जिलेटिन के**

1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 39.60	रु. 18.20 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 57.80
--------------------	------------------------	---	-------------

2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा रू. 40.68	रू. 18.20 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 58.88
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा रू. 40.68	रू. 18.20 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 58.88
4. 40 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा रू. 51.54	रू. 22.75 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 74.29
5. 70 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा रू. 68.83	रू. 30.03 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 98.86
6. 80 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा रू. 79.93	रू. 36.40 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 116.33
7. 100 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा रू. 81.90	रू. 36.40 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 118.30
8. 200 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा रू. 100.95	रू. 45.50 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 146.45

सिलोफेन या जिलेटिन के

1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा रू. 40.68	रू. 18.20 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 58.88
2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा रू. 50.75	रू. 22.75 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 73.50
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा रू. 64.35	रू. 30.03 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 94.38
4. 40 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा रू. 66.20	रू. 30.03 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 96.23





5. 70 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा रू. 69.39	रू. 30.03 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 99.42
6. 80 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा रू. 81.90	रू. 36.40 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 118.30
7. 100 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा रू. 98.75	रू. 45.50 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 144.25
8. 200 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा रू. 103.09	रू. 45.50 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 148.59

(इ) निम्नानुसार पुंगली बनाकर पक करना निम्न संख्या में अगरबतियों को गिनकर झिल्ली लपेटना, पुंगलियों में भरना, लेबल या सिलोफेन या जिलेटिन का ब्राउन पेपर लगाकर बन्द करना।  
बिना सिलोफेन या जिलेटिन के

1. 10 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकडा रू. 33.13	रू. 15.47 100 पैसा प्रति 600 (17 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 48.60
2. 12 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकडा रू. 34.15	रू. 15.47 100 पैसा प्रति 600 (17 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 49.62
3. 23 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकडा रू. 40.63	रू. 18.20 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 58.83
4. 50 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकडा रू. 41.74	रू. 18.20 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 59.94
5. 100 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकडा रू. 50.75	रू. 22.75 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 73.50
6. 200 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकडा रू. 53.38	रू. 22.75 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 76.13

(ई) सादे लिफाफे में अगरबत्ती रखकर बन्द करना।

1. 5अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकडा रु. 7.61	रु. 3.64 100 पैसा प्रति 2500(04 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 11.25
2. 10 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकडा रु. 9.05	रु. 4.55 100 पैसा प्रति 2200 (05 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 13.60
3. पुंगली बनाने के कागज (रोलिंग पेपर्स)	प्रति सैकडा रु. 50.33	रु. 6.37 100 पैसा प्रति 1500 (07 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 56.70

अगरबत्ती नियोजन अंतर्गत कर्मचारियों का वर्ग (मासिक दर) न्यूनतम मजदूरी

क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन (आंकड़े रूपये में)		राउन्डअप रूपये में दैनिक दर
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
1	पुडा बनाने वाला, मसाला भरने वाला, भृत्य चौकीदार.	9575	368.27	2275	87.50	11850	455.77	456
2	टाईपिस्ट, क्लर्क, पेटी भरने वाला, मसाला तोलने वाला.	10571	406.58	2275	87.50	12846	494.07	494
3	एकाउन्टेंट, केशियर, गोडाउन कीपर, मिस्त्री, ड्रायवर, पेटी बनाने वाला.	12294	472.85	2275	87.50	14569	560.35	560

2/ श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 15 जनवरी, 2025 (म.प्र.राजपत्र भाग-एक दिनांक 17 जनवरी, 2025) में न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अनुसूचित नियोजनों की सूची में जोड़े गए निम्न नियोजनों में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10 फरवरी, 2025 अनुसार न्यूनतम वेतन निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से इन नियोजनों के नियोजकों पर उक्त पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरें प्रभावशील न होकर इस कार्यालय की पूर्व अधिसूचना क्रमांक 1/11/अन्वे/पांच/2024/ 28502-750 दिनांक 30.09.2024 द्वारा पुनरीक्षण के पूर्व लागू न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरें लागू होंगी -

- 1- अनुक्रमांक 36(क) - किसी टेक्सटाईल एवं मेड-अप्स उद्योग में नियोजन।
- 2- अनुक्रमांक 59(क) - किसी वूवन, निटेड और टेक्नीकल टेक्सटाईल फेब्रिक से बने हुए अपेरल निर्माण में नियोजन।
- 3- अनुक्रमांक 73 - किसी फुट वियर निर्माण में नियोजन।

अतः समस्त नियोजकों द्वारा उक्तानुसार परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित न्यूनतम वेतन का भुगतान श्रमिकों/ कर्मचारियों को किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(रजनी सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

निरंतर-8

प्रतिलिपि

- 1- प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, भोपाल
- 2- स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र.शासन, भोपाल
- 3- कलेक्टर, जिला इन्दौर, धार, झाबुआ, अलिराजपुर, बडवानी, खरगोन, बुरहानपुर, खण्डवा, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्यौपुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ, निवाडी, जबलपुर, कटनी, छिंदवाडा, मण्डला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, सतना, सीधी, रीवा, सिंगरोली, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत इन्दौर, धार, झाबुआ, अलिराजपुर, बडवानी, खरगोन, बुरहानपुर, खण्डवा, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्यौपुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ, निवाडी, जबलपुर, कटनी, छिंदवाडा, मण्डला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, सतना, सीधी, रीवा, सिंगरोली, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया।
- 5- उप श्रम आयुक्त, इन्दौर/ भोपाल।
- 6- सहायक श्रम आयुक्त, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, मुरैना, भोपाल, होशंगाबाद(नर्मदापुरम), सागर, जबलपुर, सतना, सिंगरोली, शहडोल।
- 7- श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी/ श्रम निरीक्षक, इन्दौर, धार, झाबुआ, अलिराजपुर, बडवानी, खरगोन, बुरहानपुर, खण्डवा, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्यौपुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ, निवाडी, जबलपुर, कटनी, छिंदवाडा, मण्डला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, सतना, सीधी, रीवा, सिंगरोली, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया मध्य प्रदेश।
- 8- संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, म.प्र. इन्दौर।
- 9- संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्दौर, भोपाल।
- 10- उप संचालक/ सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्दौर, हायजिन लेब इंदौर, खण्डवा, देवास, मंदसौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, सिंगरोली, बीना(सागर) ।
- 11- सचिव, म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।
- 12- सचिव, म.प्र. शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।
- 13- सचिव, म.प्र. स्लेट एवं पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल, मंदसौर।

- 14- कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल।
- 15- लेबर ब्यूरो, शिमला (हिमाचल प्रदेश) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 16- आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल
- 17- प्रभारी अधिकारी, विधि शाखा/ वेतन शाखा/ लेखा शाखा/ अन्य समस्त शाखाओं की ओर सूचनार्थ।
- 18- आई.टी.शाखा, मुख्यालय, इन्दौर की ओर विभागीय वेबसाईट/पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- 19- समस्त श्रम संगठन, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
- 20- समस्त उद्योग एवं व्यवसाय संगठन मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

(रजनी सिंह)  
श्रमायुक्त,  
मध्य प्रदेश, इन्दौर

9/2